"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017 — भाद्रपद 4, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक 22/2017 (राज्य कर)

क्रमांक एफ–10–63/2017/वाक/पांच (112). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) जहां अन्यथा उपबंधित न हो, ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,–

(i) नियम 3 के उप–नियम (4) में, "जिससे प्रशमन उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है" शब्दों के पश्चात "90 दिवस के भीतर" अंक एवं शब्द जोड़ा जाए;

(ii) नियम 17 के उप–नियम (2) में, 22 जून, 2017 की प्रभावशीलता से, "उक्त प्ररूप" शब्दों के पश्चात "या विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत" शब्द जोड़ा जाए;

(iii) नियम 40 के उप–नियम (1) में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, खंड (ख) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसके धारा 18 के उप–धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने हेतु पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, या आगे की और ऐसी अवधि जो आयुक्त द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विस्तारित की गयी हो, इलेक्ट्रानिक रूप से, प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 01 में, सामान्य पोर्टल पर, इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि वह यथापूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है;

परंतु आयुक्त, केन्द्रीय कर या आयुक्त संघ राज्य क्षेत्र कर द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त राज्य कर द्वारा भी अधिसूचित किया गया माना जाएगा।";

(iv) नियम 61 के उप–नियम (5) में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, ''प्रस्तुत करने हेतु विनिर्दिष्ट कर सकेगा'' शब्दों के स्थान पर '' ऐसी रीति और शर्तो के अध्ययीन विनिर्दिष्ट कर सकेगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

(v) नियम 87 में–

(ए) उप–नियम (2) में निम्न जोड़ा जाए, अर्थात् :

''परंतु प्ररूप जीएसटी पीएमटी 06 में तैयार चालान कॉमन पोर्टल पर पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा।

परंतु यह और कि एक व्यक्ति, जो भारत के बाहर एक स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट एक गैर–कराधेय व्यक्ति को ऑनलाईन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुर्नप्राप्ति सेवाएं प्रदान कर रहा है, भी बोर्ड के भुगतान प्रणाली अर्थात्, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स के द्वारा बोर्ड द्वारा अधिसूचित तिथि से ऐसा कर सकता है'';

(बी) उप–नियम (3) में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

''परंतु यह और कि एक व्यक्ति, जो भारत के बाहर एक स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 14 में निर्दिष्ट एक गैर–कराधेय व्यक्ति को ऑनलाईन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुर्नप्राप्ति सेवाएं प्रदान कर रहा है, भी उप–नियम (2) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थानांतरण के द्वारा सोसायटी फॉर वर्ल्ड वाईड इंटर बैंक फायनेन्सियल टेलीकम्युनीकेशन पेमेन्ट नेटवर्क के द्वारा बोर्ड द्वारा अधिसूचित तिथि से जमा कर सकता है'';

(vi) नियम 103 में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''103 राज्य सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी।''

(vii) ''प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में, शीर्षक 'रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश' के अंतर्गत, अनुक्रमांक 15 के पश्चात, निम्न अनुक्रमांक जोड़ा जाए अर्थात्–

''16 प्रदायकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले शासकीय विभागों द्वारा बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।''

(viii) ''प्ररूप जीएसटी आरईजी–13 के स्थान पर, 22 जून, 2017 की प्रभावशीलता से निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :–

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 13

|नियम 17 (1) देखिए |

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - जिला -

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई की स्थायी लेखा संख्या (पैन) (अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों के लिए लागू नहीं)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पैन (अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों के लिए लागू नहीं)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र दूतावास अन्य व्यक्ति		
2.	देश			
2. क	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा (यदि लागू हो)		पत्र संख्या	तारीख
3.	अधिसूचना के ब्यौरे		अधिसूचना संख्या	तारीख
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/ गली	
	शहर/कस्बा/गाँव		जिला	
	ब्लॉक/ तहसील			
	अक्षांश		देशान्तर	
	राज्य		पिन कोड	
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता		टेलीफोन नंबर	
	फैक्स नंबर		मोबाइल नंबर	
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य>
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफ़ोन नंबर			
	पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
	पैन (अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों के लिए लागू नहीं)		आधार संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों के लिए लागू नहीं)	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	

	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/शहर/गांव		जिला	
	ब्लॉक/ तहसील			
	राज्य		पिन कोड	
8.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार	
	आईएफएससी		बैंक का नाम	
	शाखा का पता			
9.	अपलोड किए गए दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, को अपलोड किया जाएगा । या समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मु ख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, के साथ सृजित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा ।			
11.	सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।			

स्थान: (हस्ताक्षर

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

या

(हस्ताक्षर)

स्थान : समुचित अधिकारी का नाम

तारीख : पदनाम :

अधिकारिता :

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश ।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से आरईजी अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित निकाय द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे "के सामने भरा जाना चाहिए ।
- पैन/आधार अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों के लिए पैन/आधार लागू नहीं ।

(ix) ''प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–01 में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, अनुक्रमांक 7 में,–

(i) पद (क) में, शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''और 140(6)'', के स्थान पर, अंक, कोष्ठक एवं शब्द ''140(6) और 140(7)'' प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ii) पद (ख) में,

(a) शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''धारा 140(5)'', के पश्चात, शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''और धारा 140(7)'' जोड़ा जाए;

(b) कॉलम शीर्षक 1 के लिए कॉलम शीर्षक ''प्रदायकर्ता का रजिस्ट्रीकरण संख्या या इनपुट सेवा वितरक'' प्रतिस्थापित किया जाए;

(c) कॉलम 8 के शीर्षक में, शब्द ''पात्र शुल्क और कर'' के पश्चात, कोष्ठक एवं शब्द ''(केन्द्रीय कर)'' जोड़ा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्रमांक एफ–10–63/2017/वाक/पांच (112). —– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–63/2017/वाक/पांच (112), दिनांक 17–08–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 17th August 2017

NOTIFICATION
No. 22 /2017 – State Tax

No. F-10- 63/2017/CT/V (112) :- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax, 2017, namely :-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017,-

(i) in rule 3, in sub-rule (4), for the words "sixty days", the words "ninety days" shall be substituted;

(ii) in rule 17, with effect from the 22nd June, 2017, in sub-rule (2), after the words, "said form", the words "or after receiving a recommendation from the Ministry of External Affairs, Government of India" shall be inserted;

(iii) in rule 40, with effect from the 1st day of July, 2017, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18, or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf, shall make a declaration, electronically, on the common portal in FORM GST ITC-01 to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.";

(iv) in rule 61, with effect from the 1st day of July, 2017, in sub-rule (5), for the words "specify that", the words "specify the manner and conditions subject to which the" shall be substituted;

(v) in rule 87,-

(a) in sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:-

"Provided that the challan in FORM GST PMT-06 generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.

Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also do so through the Board's payment system namely, Electronic Accounting System in Excise and Service Tax from the date to be notified by the Board.";

(b) in sub-rule (3), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also make the deposit under sub-rule (2) through international money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication payment network, from the date to be notified by the Board.";

(vi) for rule 103, with effect from the 1st day of July, 2017, the following rule shall be substituted, namely :-

"103. The Government shall appoint officers not below the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.";

(vii) in "FORM GST REG-01" under the heading 'Instructions for submission of Application for Registration', after Serial No. 15, the following Serial No. shall be inserted, namely :-

"16. Government departments applying for registration as suppliers may not furnish Bank Account details.";

(viii) With effect from the 22nd June, 2017 for "FORM GST REG-13", the following Form shall be substituted, namely :-

"Form GST REG-13
[See Rule 17]

Application/Form for grant of Unique Identity Number (UIN) to UN Bodies/ Embassies /others

State /UT – District –

PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number (PAN) of entity (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	PAN of Authorised Signatory (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body ○ Embassy ○ Other Person ○		
2.	Country			
2A.	Ministry of External Affairs, Government of India' Recommendation (if applicable)		Letter No.	Date
3.	Notification details		Notification No.	Date
4.	Address of the entity in State			
	Building No./Flat No.		Floor No.	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	City/Town/Village		District	
	Block/Taluka			
	Latitude		Longitude	
	State		PIN Code	
	Contact Information			
	Email Address		Telephone number	
	Fax Number		Mobile Number	

7.	Details of Authorized Signatory, if applicable			
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name
	Name			
	Photo			
	Name of Father			
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
	Mobile Number		Email address	
	Telephone No.			
	Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
	PAN (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)		Aadhaar Number (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
	Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
	Residential Address			
	Building No/Flat No		Floor No	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	Town/City/Village		District	
	Block/Taluka			
	State		PIN Code	
8	Bank Account Details (add more if required)			
	Account Number		Type of Account	
	IFSC		Bank Name	
	Branch Address			
9.	Documents Uploaded The authorized person who is in possession of the documentary evidence shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and link it along with the UIN generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc.			
11.	Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.			

Place : (Signature)

Date : Name of Authorized Person :

Or

(Signature)

Place : Name of Proper Officer :

Date : Designation :

Jurisdiction :

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through Common Portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the Common Portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorized by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the "Authorised Signatory details" in the application.
- PAN / Aadhaar will not be applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act.

(ix) With effect from the 1st day of July, 2017, in FORM GST TRAN-1 in Serial No. 7,-

(i) in item (a), for the word, figures and brackets "and 140 (6)", the figures, brackets and word ", 140 (6) and 140 (7) shall be substituted;

(ii) in item (b), -

(a) after the word, figures and brackets, "section 140 (5)", the words, figures and brackets "and section 140(7)" shall be inserted;

(b) for column heading 1, the column heading "registration number of the supplier or input service distributor" shall be substituted;

(c) in the heading of column 8, after the words "Eligible duties and taxes", the brackets and words "(central taxes)" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.